संख्या: 38-एक(1)/न्याय विभाग/2003

प्रेषक,

वी0 लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग: देहरादून: दिनांक 22 जुलाई, 2003

विषय: जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(रेलवे) के न्यायालय की स्थापना/पदों का सृजन विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के रेलवे विभाग के मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पू.रे.वि. के पत्र संख्या-सी/432/1/डी0सी0 दिनांक 18 अप्रैल, 2002 के क्रम में आपके पत्र संख्या 5812/यू.एच.सी.-एडमिन-अनुभाग, दिनांक 21 नवम्बर, 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(रेलवे) के एक न्यायालय की स्थापना करते हुए उक्त न्यायालय के उपयोगार्थ संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार 09 अस्थायी संवर्गीय पदों को शासनादेश जारी होने अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 29 फरवरी, 2004 तक, बशर्ते कि ये बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये महगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदधारकों की अर्हतायें वही होंगी, जो वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों की है और इन पदों पर नियुक्ति यथासंभव सरप्लस/फालतू कर्मचारियों के समायोजन द्वारा किया जायेगा ।

3- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अधिष्ठान संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे ।

4- उक्त न्यायालय के लिए सृजित किये जा रहे उक्त पदों एवं कार्यालय के लिए विभिन्न आवर्तक एवं अनावर्तक मदों में निम्नलिखित विवरणानुसार रु0 9,76,000/- (रुपये नौ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	धनराशि(हजार रुपये में)
01-वेतन	4,63
02-मजदूरी	24
03-महंगाई भत्ता	2,27
04-अन्य भत्ते	62
08-कार्यालय व्यय	50
11-लेखन सामग्री	42
12-फर्नीचर एवं उपकरण	1,00
13-टेलीफोन	8
कुल योग -	9,76

(रुपये नौ लाख छिहत्तर हजार मात्र)

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर परचेज रूल्स, टेन्डर एवं कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययता विषयक समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा । जो उपकरण डी0जी0 एस0 एण्ड डी0 की दरों पर है, उन्हें उन्हीं दरों पर क्रय किया जायेगा ।

6- व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

7- उपस्कर एवं टाईपराइटर मशीन आदि का क्रय स्टोर पर्चेज नियमों एवं अन्य तद्विषयक नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-00-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-06-रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय-00" में पृष्ठ-1 उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-643/वित्त अनुभाग-3/2003, दिनांक 18 .7.03 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(वी0 लाल)
सचिव ।

संलग्नक: यथोक्त ।

संख्या:- 38-एक(1)/न्याय विभाग/2003-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/या.म.वि., पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को उनके पत्र संख्या-सी/432/1/टी.सी. दिनांक 18.4.2002 के सन्दर्भ में ।
2- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
3- सचिव, रेलवे बोर्ड, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली ।
4- डिप्टी डायरेक्टर, ट्रैफिक, वाणिज्य(सामान्य), रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5- पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून ।
6- पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
9- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
10- नियुक्ति/वित्त अनुभाग-3/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
15/7
(यू.सी. ध्यानी)
अपर सचिव ।

शासनादेश संख्या- 38-एक(1)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 19.07.2003 का संलग्नक

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे)	1	10,000-325-15,200
2	रीडर	1	4500-125-7000
3	आशुलेखक	1	4000-100-6000
4	फौजदारी अहलमद	1	4000-100-6000
5	प्रकीर्ण लिपिक	1	4000-100-6000
6	प्रतिलिपिक	1	3050-75-3950-80-4590
7	अर्दली	1	2550-55-2660-60-3200
8	चपरासी	1	2550-55-2660-60-3200
9	स्वीपर (अंशकालिक)	1	2000 नियत वेतन (प्रतिमाह)
	योग-	9	

Dhyani 19/7

(यू0 सी0 ध्यानी)

अपर सचिव ।